कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

E-mail:nodalofficerddn@gmail.com Phone/ Fax: 0135-2767611

पत्रांक–1612 /FP/UK/MIN/60921/2020 :देहरादूनः दिनांकः 4 जनवरी, 2023

सेवा में,

भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
इन्दिरा पर्यावरण भवन,
जोर बाग रोड़, अलीगंज नई दिल्ली।

विषयः– जनपद ऊधम सिंह नगर अर्न्तगत आरक्षित वन क्षेत्र में कोसी दाबका भाग–2 से 150 है0 वन भूमि में उप खनिज चुगान(रेता, बजरी,बोल्डर) हेतु उत्तराखण्ड़ वन विकास निगम को 10 वर्षों की अवधि के लिये अनुमति दिये जाने के संबध में ।

सन्दर्भः– भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, नई दिल्ली का पत्रांक–**No-8 30/2021FC/761,**दिनांक 28–09–2022.

महोदय,

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, नई दिल्ली के उपर्युक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का संज्ञान लेने का कष्ट करें, जिससे भारत सरकार द्वारा विषयांकित प्रकरण में कतिपय बिन्दुओं पर सूचना चाही गई थी। जिसकी सूचना/अनुपालन आख्या वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड़ हल्द्वानी के पत्रांक 1011/12–1 दिनांक 16.12.2022 **(प्रति संलग्न)** के द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गई सूचना आख्या निम्न प्रकार प्रेषित हैः–

क्र. सं.	आपत्ति	प्रतिउत्तर
1	As per the boundaries of the Corbett Tiger Reserv avilabale with the DSS cell(Procured from NTCA/WII) the distances of proposed site is 8.50 km from the Corbett Tiger Reserve.Therefore, either there is discrepancy in the boundaries of above Pas or the KML file of the proposed area being used is not correct, the state Govt. is requested to recheck the boundaries/KML File and accordingly take appropriate action keeping in view the distance of proposed site from the Corbett National Park/Tiger Reserve and the EC0-Sensitive Zone of the PA.	वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड़ हल्द्वानी के पत्रांक 1011/12–1 दिनांक 16.12.2022 द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण के अनुसार प्रस्तावित खनन क्षेत्र कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से 11.35 किमी0 की हवाई दूरी पर स्थित है। जिसका सत्यापित मानचित्र प्रभागीय वनाधिकारी के पत्र के साथ संलग्न है। पुनः सत्यापन हेतु मुख्य वन संरक्षक, अनुश्रवण, मूल्यांकन आई0टी0, आधुनिकीकरण उत्तराखण्ड देहरादून को भी पत्र लिखा गया है। जिसका प्रतिउत्तर प्राप्त होने के उपरान्त प्रेषित किया जायेगा। उक्त के कम में यह भी अवगत कराया गया है कि Ministry of Environment and Forest Wild Life Division की फाईल नं0– F.No-6-10/2011/WL dated 19-12-2012 के साथ सलग्न गाईड लाईन के बिन्दु सं0–3.5.1 के अंर्तगत भी राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव अभ्यारण्य क़ीसीमा से 10.00 किमी0 परिधि के अंर्तगत तथा बिन्दु सं0–3.33 में टाईगर रिजर्व की सीमा व बिन्दु सं0–3.4 में कन्जरवेशन रिजर्व की सीमा के अंर्तगत आने पर ही NBWL की कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित है। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान Eco-sensitive Zone अभी तक प्रख्यापित नहीं हो पाया है। उक्त के संबध में भारत सरकार, वन, पर्यावरण एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा उपरोक्त विषय पर अपनी फाईल सं0–FC-11/119/2020-FC Dated 17-05-2022 से दिशा निर्देश जारी किये गये है।
2	Propose wise/component wise breakup of proposed Forest Land has still not been submitted.	वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड़ हल्द्वानी के पत्रांक 1011/12–1 दिनांक 16.12.2022 द्वारा अवगत कराया गया है कि याचक विभाग के अनुसार प्रस्तावित उपखनिज चुगान क्षेत्र की भूमि तराई पश्चिमी वन प्रभाग, रामनगर के आरक्षित वन क्षेत्र के अंर्तगत नदी क्षेत्र की तलछट (sediment) नदी का 150.00 है0 का क्षेत्र है इसके अतिरिक्त अन्य कोई सिविल सोयम/नाप भूमि सम्मलित नहीं है।
3	Approved Mining Plan has not been provided.	उक्त पत्र द्वारा अवगत कराया गया है कि याचक विभाग के अनुसार प्रस्तावित क्षेत्र की खनन योजना बनाई जानी प्रस्तावित है, जिस हेतु उच्च स्तर को पत्र लिखा गया है।
4	The cost benefit analysis has still not been provided as per the prescribed format/Guidelines given in the Handbook of Guidelines.	उक्त पत्र द्वारा अवगत कराया गया है कि याचक विभाग के अनुसार लागत लाभ विश्लेषण सरकार द्वारा प्रदत गाईड लाईन के आधार पर तैयार किया गया है, जो प्रभागीय वनाधिकारी के पत्र के साथ संलग्न है।

5	The details of the all previous approvals accorded by the Ministry in the district of Udham Singh Nagar and Ramnagr in the Kosi and Dabka rivers may be provided along with permissible excavation of RBM as per EC.	उक्त पत्र द्वारा अवगत कराया गया है कि याचक विभाग के अनुसार कोसी दाबका भाग–2 का खनन क्षेत्र जिला ऊधम सिंह नगर के अर्तगत आता है।ऊधम सिंह नगर के अंर्तगत पूर्व में कोई पर्यावरणीय स्वीकृति निर्गत नहीं की गयी है। प्रस्तावित क्षेत्र के निकट नैनीताल जिले के अंतर्गत कोसी एवं दाबका नदियों हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति निर्गत की गई है। जिसकी छाया प्रति प्रभागीय वनाधिकारी के पत्र के साथ संलग्न है।
6.	Point No.(xv) of the Ministry's observation letter dated 11.01.2022 has not been replied completely.The State may provide the detail of the kind of Stone Crushers, how they are leading to illegal Mining,and the detail of the case related to illegal mining booked may be provided. Fruther the State may also intimate whether Stone Crusher have been established on Forest Land or not. If yes, then whether the approval under FCA,1980 has been obtained or not?	उक्त पत्र द्वारा अवगत कराया गया है कि कोसी–दाबका नदी के किनारे व उसके आस–पास के क्षेत्रों में स्टोन केशर राजस्व भूमि पर स्थापित है। कोसी व दाबका नदी के समीप ग्रामीणों/खनन कारोबारियों द्वारा अवैध खनन किया जाता है जिसको स्टोन केशरों के द्वारा क्रय किया जाता है, जिससे अवैध खनन को बढ़ावा मिलता है। विगत विर्ष 2021–22 व वर्तमान वर्ष 2022.23 में तराई पश्चिमी वन प्रभाग में अवैध खनन के निम्नलिखि तमागले पंजिकृत हुऐ:–

क0 सं0	राजि का नाम	अवैध खनन के मामले	
		2021–22	2022–23
1	रामनगर	144	11
2	बैलपडाव	01	0
3	बन्नाखेडा	60	16
	योग	205	27

प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि उपरोक्त सभी वाहनों पर भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित 2001) के संसुगत प्राविधानो के अंर्तगत विधिक कार्यवाही की गयी। उत्तराखण्ड शासन औद्योगिक विकास अनुभाग–1 के आदेश सं0 905/VII-1/2020/68-Rit/08TC देहरादून दि0 12.07.2020 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड स्टोन केशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, मोबाईल स्टोन केशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, हॉट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति 2020 के अध्याय–1 (स्टोन कशर/स्क्रीनिंग प्लांट) के बिन्दु सं0 03 में स्टोन कशर की न्यूनतम दूरी आरक्षित वन से 100 मी0 निर्धारित है। कोसी –दाबका नदी के किनारे व उसके आस–पास के क्षेत्रों में स्थापित स्टोन केशर राजस्व भूमि पर है, राजस्व भूमि होने के कारण वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधान लागू नहीं होते है।

अतः वन संरक्षक/प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रेषित प्रतिउत्तर के कम में प्रश्नगत प्रकरण पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत यथोचित कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

05/01/23

(एस0एस0रसाईली)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण,उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या– / FP/UK/MIN/60921/2020 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड हल्द्वानी (नैनीताल) को उनके संदर्भित पत्र के कम में सुचनार्थ प्रेषित।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पश्चिमी वन प्रभाग, उत्तराखण्ड रामनगर ।

(एस0एस0रसाईली)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण,उत्तराखण्ड, देहरादून।